

न्यायालय: उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

धन वाद सं० ०४ / २०२५

संजय कुमार मिश्रा.....वादी

बनाम

चुमन नाथ तिवारी.....प्रतिवादी

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
10-03-2026		

वाद पुकारा गया। पुकार पर विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रस्तुत वाद में वादीगण के द्वारा दिनांक 10.03.2026 को व्य०प्र०सं० के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथित किया गया कि उपरोक्त वाद में मुदालहम चुमन नाथ तिवारी ने ब तारीख 22.02.2026 को दो पुत्रों एवं एक पुत्री को छोड़कर बफात कर गए। अतः अर्जी नालिस से मुदालहम चुमन नाथ तिवारी का नाम कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

वाद उपस्थिति हेतु संस्थित है।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अभिलेख उपस्थिति हेतु संस्थित है। अतः वादीगण का आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। न्यायालय कार्यालय को आदेश देती है कि प्रतिवादी चुमन नाथ तिवारी का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम आवेदानुसार प्रतिस्थापित करें। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक ०३-०४-२६ वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित व संशोधित

Upendra Sah
10/03/26
(उपेन्द्र साह)

सिविल जज (सिनियर डिविजन),
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

Date of Order	10-03-2026
Date of Reserving Order	10-03-2026
Uploading Date	10-03-2026
Uploaded by	Anam Prakash Kumar Mishra (D.E.O)